

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या - 17-बी0पी0एम0यू0 (सो0का0) -18/2015.....

प्रेषक,

मुकुल कुमार,  
सहायक निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,  
एन0आई0सी, पटना।

पटना, दिनांक :-

विषय :- बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के सोसायटी कार्यालय के रिक्त पदों पर अस्थायी नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के सोसायटी कार्यालय के रिक्त पदों यथा- एल0आई0एस0 सलाहकार एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के अस्थायी नियोजन हेतु विज्ञापन संख्या-01/2017-18 की सॉफ्ट/हार्ड कॉपी पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन सूचना को हिन्दी एवं अंग्रेजी के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित कराते हुए अपने विभागीय वेबसाईट पर भी प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

**अनुलग्नक :-** विज्ञापन सूचना की हार्ड (पाँच प्रतियों में) एवं सॉफ्ट कॉपी।

विश्वासभाजन

ह0/-

(मुकुल कुमार)

सहायक निदेशक

ज्ञापांक :- 17-बी0पी0एम0यू0 (सो0का0) -18/2015-1990- पटना, दिनांक :- 27/12/2017

**प्रतिलिपि :-** विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विज्ञापन संख्या-01/2017-18 को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

27/12/17

सहायक निदेशक


बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)  
मुख्य सचिवालय, पटना - 800015

सूचना

विज्ञापन संख्या-01/2017-18

केन्द्र प्रायोजित योजना The DIGITAL INDIA LAND RECORDS MODERNIZATION PROGRAMME - DILRMP के अंतर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभिन्न प्रकार के तकनीकी कार्यों में आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन निबंधित सोसाइटी (निबंधन संख्या - 3592/2011-12) के रूप में किया जा चुका है। इस सोसायटी के अंतर्गत शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति का भी गठन किया गया है। मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में शासी निकाय क्रियाशील है तथा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति क्रियाशील है।

शासी निकाय के निर्णय के आलोक में सोसायटी कार्यालय के लिए एल0आई0एस0 सलाहकार (Land Information System - LIS) तथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (Data Entry Operator- DEO) के पद पर अस्थायी नियोजन की आवश्यकता है। इस संबंध में विस्तृत विज्ञापन विभागीय वेबसाईट [www.lrc.bih.nic.in](http://www.lrc.bih.nic.in) पर देखा जा सकता है। इसे संबंध में जानकारी के लिए सहायक निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय बिहार, पटना मोबाईल न0- 8544412995 फोन न0- 0612- 2217109 पर भी प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक आवेदक विहित प्रपत्र में अपना आवेदन निर्धारित दिनांक 31.01.2018 के 05.00 बजे अपराह्न तक स्वयं अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को उपलब्ध करा सकते हैं।

  
(मुकुल कुमार)  
सहायक निदेशक

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)**  
**मुख्य सचिवालय, पटना - 800015**

**विज्ञापन संख्या : 01/2017-18**

केन्द्र प्रायोजित योजना The DIGITAL INDIA LAND RECORDS MODERNIZATION PROGRAMME - DILRM के अंतर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशालय, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभिन्न प्रकार के तकनीकी कार्यों में आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन निबंधित सोसाइटी (निबंधन संख्या - 3592/2011-12) के रूप में किया जा चुका है। इस सोसायटी के अंतर्गत शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति का भी गठन किया गया है। मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में शासी निकाय क्रियाशील है तथा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति क्रियाशील है।

2. बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट शत-प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान की राशि से गठित की गयी है। इस सोसायटी के गठन हेतु भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्र संख्या 13014/4/2007-LRD दिनांक 02.08.11 द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध कराए गए हैं। भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार सोसायटी कार्यालय के लिए निम्नांकित रिक्त पदों पर सविदा के आधार पर नियोजन किया जाना है :-

1. एल0आई0एस0 सलाहकार - 01 पद
2. डाटा इंट्री ऑपरेटर - 01 पद

3. रिक्त पदों पर अस्थायी नियोजन के लिए कार्यकारिणी समिति की दिनांक 24.03.2017 की बैठक में लिए गए निर्णय के फलस्वरूप विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है।

4. एल0आई0एस0 सलाहकार एवं डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद पर-नियोजन हेतु इच्छुक आवेदकों को निम्नांकित योग्यताएँ धारण करना अनिवार्य होगा :-

क्र०	पदनाम	उम्र सीमा	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	देय पारिश्रमिक
1	एल0आई0एस0 सलाहकार (Land Information System - LIS)	अधिकतम 62 वर्ष	स्नातक	भू-अभिलेखों के संघारण/सर्वे/री-सर्वे संबंधी कार्यों में 10 वर्षों का अनुभव तथा भूमि सूचना प्रबंधन तथा डाटा फॉरमेट से संबंधित जानकारी का उपलब्ध होना तथा भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत कम से कम एक जिला में कार्य कराने का अनुभव।	भारत सरकार द्वारा घोषित विद्यमान दर 60,000/- रुपये प्रतिमाह जिसमें मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है।
2	डाटा इंट्री ऑपरेटर (Data Entry Operator D.E.O.)	आवेदन समर्पित करने की तिथि को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा या इसके उपर अनिवार्य।	सरकारी/गैर-सरकारी संस्थान में कम-से-कम एक वर्ष का टंकण कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो/टाईपिंग स्पीड हिन्दी-25, अंग्रेजी-30 शब्द प्रति मिनट/M.S Office (Word, Excel, Powerpoint) and Internet की अच्छी जानकारी।	भारत सरकार द्वारा घोषित विद्यमान दर 15,000/- रुपये प्रतिमाह जिसमें मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है।

5. इच्छुक आवेदक संलग्न विहित प्रपत्र में अपने फोटो के साथ पूर्ण आवेदन यथावश्यक अनुलग्नों के साथ निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को दिनांक 31.01.2018 के 5.00 बजे अपराह्न तक उपलब्ध करा सकेंगे।

6. आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि :-

(क) उनके विरुद्ध निगरानी का मामला नहीं चल रहा है।

(ख) उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ग) कभी किसी मामले में दंडित नहीं है।

(घ) उनके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

7. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों का अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

8. नियोजन के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य-चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा।

9. नियोजन के उपरांत आवेदकों को चेक के माध्यम से उनके बैंक खाता में पारिश्रमिक की राशि उपलब्ध करायी जाएगी। पारिश्रमिक की राशि में से टी0डी0एस0 की कटौती करने के उपरांत शेष राशि बैंक खाता में जमा कर दी जाएगी।

10. नियोजन के उपरांत यदि सलाहकार की सेवा संतोषप्रद नहीं पायी गयी, तो निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण सह सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति अपने स्तर से संबंधित कर्मों से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की सहमति से इन्हें कार्य मुक्त करने के लिए सक्षम होंगे।

11. एल0आई0एस0 सलाहकार का दायित्व होगा कि विभिन्न प्रकार के अधिनियमों/नियमावली के आलोक में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सुझाव/परामर्श उपलब्ध कराएंगे तथा रैयतवार चालू खतियान के निर्माण एवं वेबसाइट पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में अपना सहयोग/सुझाव उपलब्ध कराएंगे।


12. डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का दायित्व होगा कि केन्द्र प्रायोजित योजना DILRMP/NLRMP योजना अंतर्गत सोसाईटी कार्यालय की आवश्यकता से संबंधित कम्प्यूटर टंकण समय-समय पर योजना हित में निदेशालय/सोसाईटी कार्यालय द्वारा संबंधित कर्मों को उनके कार्यक्षमता के अनुरूप अन्य कार्य भी आवंटित किये जा सकेंगे।

13. यह नियोजन पूर्ण रूप से सीमित समय के लिए अस्थायी रूप से किया जाएगा। साक्षात्कार के उपरांत सफल आवेदकों से एकरारनामा किया जाएगा। एकरारनामा का विस्तारीकरण नहीं किए जाने पर एक वर्ष की अवधि के बाद नियोजित आवेदक की सेवा स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

14. कार्य की अधिकता एवं आवश्यकता को देखते हुए एकाधिक LIS सलाहकार/डाटा इंटी ऑपरेटर भी उस वर्ष की उपलब्ध मानदेय राशि के अधीन प्रावधानों के तहत रखे जा सकते हैं। यह नियुक्ति पैनल की वरीयता के आधार पर ही होगी।

15. पैनल की वरीयता का निर्धारण निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण की अध्यक्षता में गठित साक्षात्कार समिति द्वारा तय किया जाएगा।


16. निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण किसी भी समय बिना कारण बताए इस विज्ञापन को रद्द/स्थगित करने के लिए सक्षम होंगे।



(मुकुल कुमार)  
सहायक निदेशक  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

## आवेदन का प्रपत्र

1. पद का नाम जिसके लिए आवेदन समर्पित किया जा रहा है :- .....
2. आवेदक का नाम :- .....
- (क) हिन्दी में :- .....
- (ख) अंग्रेजी में :- .....
3. पिता/पति का नाम :- .....
4. जन्म तिथि :- .....
5. आरक्षण कोटि :- .....
6. पुरुष/महिला :- .....
7. स्थायी पता :- .....
8. पत्राचार का पता :- .....
9. किस प्रदेश के मूल निवासी हैं :- .....
10. मोबाईल नं० :- .....
11. ई-मेल :- .....
12. आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि:- उनके विरुद्ध कोई निगरानी मामला नहीं चल रहा हो/कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं हो/किसी भी मामले में दंडित नहीं हुए हों/कोई गंभीर आरोप एवं अपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
13. शैक्षणिक योग्यता :-



परीक्षा का नाम	उत्तीर्णता का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक का प्रतिशत/ग्रेड	सर्वे/री-सर्व कार्या का अनुभव प्रमाण सहित	भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत आधार अभिलेख तैयार करने के कार्य का अनुभव प्रमाण सहित	विभिन्न प्रकार के भू-अभिलेख पंजी के संबंध में जानकारी	डिप्लोमा का प्रमाण-पत्र	पूर्व में किसी विभाग/कार्यालय/संस्था को उपलब्ध करायी गयी सेवा का ब्योरा
					केवल LIS के लिए			DEO
1	2	3	4	5	6	7	8	9

14. योजना से संबंधित कार्य का कोई अन्य अनुभव यदि हो तो उल्लेख करें :-

नोट :- आवेदक अपनी यथावश्यक साक्ष्य प्रमाण स्वरूप स्व-हस्ताक्षर के साथ संलग्न करेंगे।

### घोषणा :-

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही हैं। किसी भी समय उपर्युक्त सूचनाओं में से किसी सूचना को गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन/नियोजन को रद्द किया जा सकेगा।

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर